

## संशोधित ई-निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 768/जि0पं0शामली/2019-20 दिनांक 13-02-2020 द्वारा दिनांक 14-02-2020 को प्रकाशित ई-निविदा सूचना द्वारा चतुर्थ राज्यवित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत 72 निर्माण कार्यो की ई-निविदाए दिनांक 03-03-2020 की सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी। उपरोक्त ई-निविदाए अब दिनांक 17-03-2020 की सायं 05:00 बजे तक [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड व अपलोड की जा संकेगी। उपरोक्त निविदाओं की तकनीकी बिड निविदा समिति द्वारा दिनांक 18-03-2020 को प्रातः 11:00 बजे इच्छित ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। कार्या का विस्तृत विवरण एवं शर्ते यथावत् रहेगी, जो जनपद शामली की वेबसाइट [www.shamli.nic.in](http://www.shamli.nic.in) पर देखी जा सकती है अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में भी देखी जा सकती है।

(कंवरपाल सिंह)  
अभियन्ता  
जिला पंचायत, शामली

(मुकेश जैन)  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, शामली


## कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक- 806/जि0पं0शा0/2019-20

दिनांक-02-3-2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, शामली।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, शामली।
- 3- मा0 अपर जिला न्यायधीश कार्यालय शामली।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली।
- 5- निविदा समिति के सदस्य अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत शामली को इस आशय के साथ कि वह नियत तिथि को टैण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु।
- 6- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद शामली की शासकीय वेबसाईट [www.shamli.nic.in](http://www.shamli.nic.in) पर संलग्न निविदा फार्म अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल जिला सूचना अधिकारी से दर प्रमाणित कराकर कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
- 8- अभियन्ता, जिला पंचायत शामली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त समस्त वेबसाईट पर यह निविदा सूचना तथा समस्त कार्य विवरण अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 9- समस्त पंजीकृत ठेकेदार, जिला पंचायत शामली को कार्य विवरण सहित सूचनार्थ।
- 10- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, शामली।